रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 2012/आश्विन 4, 1934

No. 482] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 2012/ASVINA 4, 1934

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2012

**सा.का.नि. 718(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1964 जहां तक उनका संबंध उद्यान ओवरसियर से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में उद्यान ओवरसियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, उद्यान ओवरसियर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| उद्यान ओवरसियर | 7* (2012)<br><br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1 (5200-20200रू.) + ग्रेड वेतन 2400रू. | अचयन | 27 वर्ष से अधिक नहीं<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनतातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)<br>टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापनानुसार होगी । | 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि/ बागबानी/ वन विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान के साथ बी.एस.सी. ।<br>टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के लिए अर्हताओं में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं । | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो । | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा । | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-<br>1. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - अध्यक्ष ;<br>2. कार्यालय प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ;<br>3. कार्यालय प्रधान, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य । | लागू नहीं होता |

[फा. सं. 01/32/2011-सीएसबी]

बी. एम. एस. राठोड़, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2012

**G.S.R. 718(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Group 'C') Recruitment Rules, 1964, insofar as they relate to the post of Garden Overseer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Garden Overseer in the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Garden Overseer Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

3662 GI/12-2

## SCHEDULE

| Name of post. | Number of post. | Classification. | Pay band and grade pay or pay scale. | Whether selection post or non-selection post. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Garden Overseer. | 7*<br>(2012)<br>*Subject to variation dependent on work load. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Pay band-1, Rs.5200-20200 plus grade pay Rs.2400. | Non-selection. |

| Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Not exceeding 27 years<br><br>(Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders | B.Sc. with agriculture /horticulture/forestry/botany from a recognised University.<br><br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of the candidates otherwise well qualified. | Not applicable. | Two years. | By direct recruitment. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. | **Note 2:** The particular discipline in which the educational qualification is required shall be specified according to the requirement at the time of recruitment. | | | |

| In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:<br>1. Director, Botanical Survey of India – Chairman;<br>2. Head of Office, Botanical Survey of India – Member;<br>3. Head of Office, Zoological Survey of India – Member. | Not applicable. |

[F. No. 01/32/2011-CSB]

B. M. S. RATHORE, Jt. Secy. (Conservation and Survey)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.